

Characteristic features of Swiss federal Government.

स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार (कार्यपालिका)

विशिष्ट लक्षण युक्त अपने ढंग की एक है।

कार्यपालिका पूरे विश्व में है। अतः जो देशों को

ने दी है वह है कि व स्विट्जरलैंड की संघीय

सरकार विश्व की अन्य सभी कार्यपालिकाओं से

आपेक्ष कम देते लोग हैं। "स्वीस संघीय

सरकार की जिन विशिष्ट लक्षणों ने उसे यह विशिष्ट

पदान की है, उनका अध्ययन निम्न रूपों में

किया जा सकता है:

(1) बहुल कार्यपालिका - सामान्यतः विश्व के

देशों में कार्यपालिका का नेतृत्व एक व्यक्ति

के द्वारा किया जाता है और व्यवस्थापिका

का संगठन बहुलता के आधार पर। अधिकांश

शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का नेतृत्व राष्ट्रपति

द्वारा तथा संसदात्मक शासन व्यवस्था में अर्थात्

~~संसदात्मक~~ प्रजासत्ता में कार्यपालिका

के द्वारा प्रशासन सम्बन्धी कार्य किया जाता

है। परन्तु स्विट्जरलैंड में एक कार्यपालिका

के स्थान पर बहुल कार्यपालिका को ~~स्वीस~~

अपनाता गया है। संविधान के अनुच्छेद 175 के

अनुसार "संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे" बहुल

कार्यपालिका इस दृष्टि में की है कि संघीय

सरकार के सभी ही सदस्यों की विशेष पदान है।

स्विट्जरलैंड में यह बहुल कार्यपालिका सफलतापूर्वक

कार्य कर रही है, लेकिन ऐसा स्विट्जरलैंड की

विशेष परिस्थितियों के कारण ही है। विश्व के

अन्य देशों में सफलता पूर्वक अपनाता जाना

कम ही सम्भव रही है।

2. संसदात्मक व अधिसूचनात्मक प्रणालियों का

समन्वय - विश्व के देशों में मुख्यतः कार्यपालिका

के दो स्वरूप पाये जाते हैं - संसदीय और

(1) अधिसूचनात्मक। प्रथम, संसदात्मक कार्यपालिका

जिसका आदर्श उदाहरण ब्रिटेन और भारत है।

द्वितीय, अधिसूचनात्मक कार्यपालिका जिसका आदर्श

उदाहरण अमेरिका है। परन्तु स्विट्जरलैंड की

कार्यपालिका (संघीय सरकार) अनोखी है।

एक संसदीय और अल्पसंख्यक दोनों ही प्रकार की कार्यपालिकाओं से मिलकर बना होता है, परन्तु इसमें दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के लक्षणों का मिलना है। संघीय सरकार के सदस्य संघीय संसद द्वारा चुने जाते हैं और संसदीय कार्यपालिका के समान संघीय सरकार के सदस्य व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं; लेकिन क्विटरजलैण्ड की संघीय संसद का प्रथम सदन (प्रतिनिधि सभा) इस प्रकार से प्रस्ताव पारित कर संघीय सरकार को पदच्युत नहीं कर सकती, जैसा कि संसदीय व्यवस्था में किया जाता है।

3. उत्तरदायित्व और दायित्व का भेद - संसदीय शासन का सबसे पुराना गुण उत्तरदायित्व है, अर्थात्, वास्तविक शासन व्यवस्था का संचालन करने वाले व्यक्ति जन-प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व की इस व्यवस्था के कारण शासन कार्य जन-प्रतिनिधियों की इच्छानुसार संपन्न होता है और सरकार निर्दोश नहीं हो पाती। अल्पसंख्यक शासन व्यवस्था का सर्वप्रमुख गुण दायित्व है। कार्यपालिका का एक निश्चित कार्यकाल होता है जिससे उसके द्वारा निश्चित-रूप और कुशलता से राज्य शासन कार्य किया जा सकता है। क्विटर संघीय सरकार में उत्तरदायित्व और दायित्व का बड़ा उपयोगी भेद है और इसे संघीय संसद और संघीय सरकार के बीच विशेष प्रकार के सम्बन्धों की व्यवस्था करके प्राप्त किया गया है। संघीय सरकार संघीय संसद के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करती है और इससे शासन कार्य में जन दृष्टिकोण का समावेश हो गया है। लेकिन संघीय संसद संघीय सरकार को पदच्युत नहीं कर सकती और न ही संघीय संसद में अपना प्रस्ताव अव्वीकृत होने पर संघीय सरकार त्यागपत्र देती है।

4. निर्दलीयता - क्विटर संघीय सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका निर्दलीय स्वभाव है। संघीय सरकार में किसी एक राजनीतिक

बल के सदस्य नहीं होते, नल उसमें उन सभी राजनीतिक इलों के सदस्य होते हैं, जिन्हें संघीय संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय सरकार इस दृष्टि से भी निर्दलीय है कि सरकार के सदस्य अपने राजनीतिक इलों की सीमाओं से बाहर कार्य नहीं करते, बल्कि स्वयं अपने विवेक के अनुसार दलतंत्रनाशनक विचार व्यक्त करते और कार्य करते हैं। वे इलबन्दी की सीमाओं के उपर उठकर राष्ट्रीय हित की रक्षा करते हैं।

इस प्रकार हमारे हैं कि संघीय सरकार के सदस्य सभा में कार्य करते हैं, जिनका अपरीकी कार्यपालिका की तुलना में अपेक्षाकृत निर्दलीय है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि संसद की सभा और उसके कार्यों का राजनीतिक इलों से कोई सम्बन्ध नहीं होता।

5. विशेषज्ञों की परिषद - जिनमें और मारन की संघीय व्यवस्था और कुछ सीमा तक अपरीकी की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था के अन्तर्गत की प्रक्रिया अपने विभागों के विशेषज्ञ नहीं होते। उन्हें अपना बड़ा बड़ा लोकप्रियता, सामान्य प्रशासनिक योजना, राजनीतिक इलों में अपने स्वयं और कार्यपालिका प्रदान की व्यक्तिगत कृपा के रूप में प्राप्त होता है। परन्तु दिवद्वन्द्व में संघीय सरकार के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं है। वहाँ यह भी परम्परा है कि पुनर्निर्वाचन पर साधारणतया एक व्यक्ति नहीं विभाग दिया जाता है, जिस विभाग के प्रदान के रूप में उसके द्वारा कार्य किया जा चुका है। यह दिवद्वन्द्व सदस्यों को उनके विभागों के पूर्ण विशेषज्ञ बना देती है। लावेल ने दी एक ही लिखा है कि "दिवद्वन्द्व में संघीय सरकार के (परिषद) के सदस्य अपने-अपने विभागों के राजनीतिक अलक्ष्य तथा पुराने सम्बन्धों होते हैं।"